

कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर
(प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

क्रमांक- के.वि.के./अजमेर/2020/

दिनांक 10.02.2021

संश्लेषित निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर में 2020-21 वर्ष में प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर जिले व जिले से बाहर (राज्य में) हेतु एक मिनिबस (20 सीट) व बस (45 सीट) (पुश बैक सीट वाली किराये हेतु आवश्यकता है। इस कार्य के इच्छुक पंजीकृत ड्रेवल एजेंट्स/बस ड्राइवर्स से निर्धारित प्रपत्र में जोहरबंद निविदाएं दिनांक 17.02.2021 को दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। (निविदा इसी दिवस में कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)।

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार/भ्रमण क्षेत्र	बैठने की क्षमता	दूर / प्रति कि.मी. (100 किमी प्रतिदिन तक)	दूर (प्रति किमी/100 किमी प्रतिदिन से अधिक)
1.	अजमेर जिले के क्षेत्र भ्रमण के लिये मिनिबस व सम्पूर्ण राजस्थान राज्य हेतु	20 सीट		
2.	अजमेर जिले के क्षेत्र भ्रमण के लिये बस व सम्पूर्ण राजस्थान राज्य हेतु	45 सीट		

निविदा के प्रपत्र एवं शर्तें संलग्न हैं।

प्रतिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैं।-

1. बंचार्ज, सिमका को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विश्व विद्यालय पोर्टल पर अपलोड करने का भ्रम करें।
2. निदेशक, प्रसार शिक्षा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)
3. कोषाधिकारी, श्री क.न. कृ. विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)
4. निदेश नियंत्रक, श्री क.न. कृ. विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)
5. संयोजक / सदस्य, निविदा समिति, कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर
6. सूचना पट्ट, कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर, पंचायत भवन, पांस. अजमेर।


 (कार्यक्रम समन्वयक)

निविदा के निविदा व शर्तें :-

1. बस / मिनिबस विभिन्न वर्ष 2020-21 में अजमेर जिले व राज्य में अन्य जिलों के विभिन्न क्षेत्र में कृमक भ्रमण पर वाता-लेजाना हेतु होगा।
2. वाहन का आल-राजस्थान राज्य परमिट होना आवश्यक है।
3. वाहन का परमिट, वाहन का बीमा, चालक लाइसेंस होना आवश्यक है।
4. भ्रमण के दौरान अकस्मात किसी भी घटना की स्थिति में वाहन चालक एवं वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए वाहन मालिक ही पूर्णतया जिम्मेदार होगा।
5. वाहन से सम्बंधित किसी भी तरह के खर्च को वाहन मालिक स्वयं वहन कराना होगा।
6. निविदा को निरस्त करने के सभी अधिकार, निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेंगे।
7. निविदा शर्तों द्वारा समझ पर मात्रा हेतु वाहन उपलब्ध नहीं करने पर सम्बंधित व्यक्ति / फर्म पर सख्त कार्रवाई की जायेगी एवं फर्म / व्यक्ति को कोई मुकदमा नहीं किया जायेगा।
8. क्रिया (यदि जीएनपी/लघु) की दरें प्रति कि.मी. के हिसाब से देय होंगी जिसमें डीजल, आयल, टोल टैक्स, स्टेट स्ट्री फीस, नईट चार्ज, पार्किंग चार्ज, परमिट एवं अन्य कर / खर्च आदि बस मालिक द्वारा देय होगा।
9. गाड़ी का प्रेंडिंग एवं चालक, परिचालक का खर्च बस मालिक द्वारा देय होगा।
10. बस के समस्त कागजात पूर्ण होना आवश्यक है व मात्रा के दौरान वाहन के साथ होने चाहिए।
11. बस में बैठने हेतु सीटें आरामदायक लेनी चाहिए तथा सामान (लगेज) हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
12. बस में म्यूजिक सिस्टम सही कंडीशन में होना चाहिए।
13. बस के ग्लास टूट नई होने आवश्यक है।
14. चालक व परिचालक का वर्दी में होना जरूरी है तथा इनका दैनिक खर्च बस मालिक द्वारा वहन किया जायेगा।
15. बस भ्रमण के दिन सूचना अनुसार समझ पर कुछे विज्ञान केन्द्र, अजमेर पर उपलब्ध करानी होगी।
16. निविदाओं को निरस्त एवं स्वीकार के अधिकार अधोदस्तावरुती के अधीन हैं।
17. बस समझ कोर्टी की सिफारिश पश्चात ही स्वीकृत की जायेगी।
18. मार्ग में वाहन खराब होने की स्थिति में दूसरी बस समझ पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदादाल की होगी।
19. भ्रमण के लिए 7 दिवस पूर्व सूचित किया जायेगा।
20. निविदा प्रपत्र में ही भरनी होगी।
21. निविदा के साथ GST, PAN, GST नम्बर / अग्यकर / डिजी कर क्लीयरेंस सर्टीफिकेट प्रस्तुत करना होगा। आरटीओ सम्बंधित नसोवेज एवं प्रस्तुत करें।

22. निवेदानों, निर्धारित प्रपत्र में बंध लिफाफे में जिस पर "बस सेवा के लिए निवेदान" लिखा हो प्रस्तुत करनी होंगी।
 23. निवेदान में किसी प्रकार की कौटुंबिक त्रुटि हो। निवेदान प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निवेदानदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
 24. धरोहर राशी रु० 3000/- (असारे तीन हजार रुपये) डिमाण्ड ड्राफ्ट से कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर (Programme Coordinator, Kushi Vigyan Kendra, Ajmer) के नाम निवेदान स्वीकृति के साथ जमावर्तनी होगी। धरोहर राशी कार्य समाप्ति पश्चात वापस की जायेगी; धरोहर राशी पर कोई व्याज देय नहीं होगा।
 25. कार्य न कर पाने / कार्य बीच में छोड़ने की स्थिति में धरोहर राशी उक्त काली जायेगी।
 26. कार्य, निवेदान प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार करना होगा।
 27. किसी भी प्रकार के विवाद पर न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
 28. न्यूनतम निवेदान पट, जिसे निवेदान सीमित उचित न समझे कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
 29. निवेदानों को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार- कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर को होगा।
 30. निवेदान प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
 - (i) इन्वेंस एमेंसी की स्थिति में एमेंसी का बर्डिसेंस
 - (ii) कृषि मालिक की स्थिति में बस की आरसी की दायारा प्रति (स्वयं स्थापित)।
 - (iii) जी.एच.सी. यदि देय लागू है तो GST पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा कानूनी प्रमाण पत्र / आर.टी.ओ. सन्तुष्टि पूर्ण दस्तावेज।
 - (iv) बस के पार्सिट की दायारा प्रति (स्वयं स्थापित)।
- मैंने/ हमने निवेदान की उक्त लिखित सभी शर्तें पढ़ ली हैं। समझ ली हैं, जो कि मुझे/ हमें शर्तः स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर
निवेदानदाता मध्य पूर्णपता

20
(कार्यक्रम समन्वयक)